GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 122
ANSWERED ON 12.02.2021

SANCTIONING MORE MANDAYS UNDER MGNREGA

*122 SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

a) whether Government has any plan to sanction more mandays under MGNREGA;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Ministry has requested the Ministry of Finance in this regard; and
(d) if so, the response of the Ministry of Finance thereof?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(SADHVI NIRANJAN JYOTI):

(a): No Sir.

(b): Does not arise.

(c): No Sir.

(d): Does not arise.

****

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 122*
(12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत श्रम-दिवस बढ़ाने की स्वीकृति दिया जाना

***122. श्री सुशील कुमार गुप्ता:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत श्रम-दिवस बढ़ाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कोरोना के दौरान लाखों रोज़गारयुक्त मज़दूर देश भर के शहरों और कस्बों को छोड़कर गांवों में चले गये और बेरोज़गार हो गये। उनमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी मात्रा है।

श्री सभापति: सुशील जी, सवाल पूछिये।

श्री सुशील कुमार गुप्ता : सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। 'मनरेगा' के दौरान काम करने वालों में महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 'मनरेगा' के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रोविजन किया है?

साध्वी निरंजन ज्योति: सभापति महोदय, यह प्रश्न हालांकि विषय से हटकर है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी...

श्री सभापति: प्रश्न महिलाओं से संबंधित है।

साध्वी निरंजन ज्योति : कोरोना काल में यदि मैं पिछले वर्ष की तुलना में देखूं तो इस वर्ष 330 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं और मैं यह मानती हूं कि कोरोना काल में यदि 'मनरेगा' नहीं होता तो जो प्रवासी मज़दूर थे, उनको रोज़गार नहीं मिलता। क्योंकि यह रोज़गारपरक नहीं है, क्योंकि जब कहीं काम नहीं मिलता है, तब लोग 'मनरेगा' में काम करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि लोग मनरेगा में काम न करें, उनको जहां अधिक पैसा मिल रहा हो, वे वहां काम कर रहे हों, लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि आज लोगों के घरों में जो रोटी मिली, लोगों को काम मिला तो 'मनरेगा' ने ही दिया है और हमारी सरकार ने 'गरीब कल्याण योजना' के तहत काफी बजट दिया है।

श्री सुशील कुमार गुप्ता : महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने सवाल के जवाब में बताया कि 'मनरेगा' के सौ दिन से ऊपर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आज के दिन 220 रुपये प्रतिदिन ही मिलते हैं, यानी एक परिवार को साल में 22,000 रुपये ही मिलते हैं। क्या इसमें श्रम दिवस की संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है? उनकी जो दैनिक मजदूरी है, क्या उसको 220 रुपये से बढ़ाने की कोई योजना है?

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय सभापति महोदय, चूँकि जब लोगों को काम नहीं मिलता, तब लोग 'मनरेगा' में काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि इसे 100 दिन से अधिक बढ़ाने का भारत सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। हाँ, राज्य सरकारें इसे बढ़ाना चाहें, तो बढ़ा सकती हैं। मैं उन सरकारों को बधाई देती हूँ, जिन सरकारों ने इसे बढ़ाया है। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और केरल, इन तीन प्रदेशों ने अपने यहाँ इसे 50 दिन अधिक बढ़ा कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जिस तरह से कोरोना के समय जब अन्य रोज़गार बन्द हो गये थे, तब प्रवासी मजदूरों को उसमें काम मिला है। माननीय सदस्य का इसे

बढ़ाने का जो प्रश्न है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हमने वित्त मंत्री जी से इस संबंध में कोई बात की है।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, man days बढ़ाने पर तो मंत्री जी ने directly मना कर दिया। यहाँ तोमर साहब बैठे हुए हैं। वे अभी बैठे हैं या नहीं?

श्री सभापति: हाँ, वे लोक सभा में बैठे हुए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): राम गोपाल जी, मैं लोक सभा में बैठा हूँ।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, मैं एक बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में - जहाँ से मंत्री जी आते हैं - वहाँ कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो इसके लिए eligible हैं और कितने लोगों को काम मिल रहा है?

श्री सभापति: मंत्री जी के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी अभी है, तो बताइए, नहीं तो जाँच करके इनको जानकारी दीजिए। नरेन्द्र सिंह जी, आप बताइए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापतिप जी, हम सब जानते हैं कि 'मनरेगा' एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। पूरे देश में 'मनरेगा' के अन्तर्गत लगभग 14 करोड़ जॉबधारी हैं और लगभग 10 करोड़ लोग सक्रिय रूप से इसमें काम करते हैं। जब गुप्ता जी पूछ रहे थे **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य: सर, आवाज़ कम आ रही है।

श्री सभापति: इनकी आवाज़ बढ़ाइए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उस समय उन्होंने पूछा था कि महिलाओं का **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति: लोक सभा से voice कम आ रही है। **...(व्यवधान)...** आप माइक के सामने बोलिए। **...(व्यवधान)...**

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति: नरेन्द्र जी, आप बैठ कर बोलिए। **...(व्यवधान)...** आप बैठ कर बोलिए। **...(व्यवधान)...** माइक के सामने बोलिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष महिलाओं के काम का जो प्रतिशत है, वह निश्चित रूप से 52 प्रतिशत है और इस बार 'मनरेगा' में रिकॉर्ड काम हुआ है, लगभग 330 करोड़ दिवस सृजित हुए हैं। जहाँ तक जिले की बात है, तो निश्चित रूप से काम तो सभी जगह चल रहा है। चम्बल का जो हमारा इलाका है, वह निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और चाहे वह मुरैना हो, शिवपुर हो और राम गोपाल जी का जिला हो, इसकी जो जिलेवार जानकारी है, उसके बारे में मैं राम गोपाल जी को अवगत करा दूँगा।

श्री सभापति: ठीक है। Dr. Amee Yajnik. ...(*Interruptions*).. I have to take care of all sides and then names. ...(*Interruptions*)..

SHRI SHAKTISINH GOHIL: This side also. ...(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: This side, on your side; sitting there that side now. ...(*Interruptions*).

DR. AMEE YAJNIK: Thank you, hon. Chairman, Sir, for this opportunity. Sir, I would like to inform the hon. Minister that in December 2020, 26.34 million people demanded work under MGNREGA. This is 113.13 per cent higher than the demand in December 2019, that is, before COVID and 16 per cent higher than November 2020. Is the Minister or the Ministry aware of this surge in demand under MGNREGA? If yes, what steps are you going to take for the revised allocation in the Budget for this sector?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी, ...(**व्यवधान**)... 'मनरेगा' के अन्तर्गत जो रोज़गार की माँग का सवाल है, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है।

MR. CHAIRMAN: Mike, please.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: सर, माइक चालू है। ...(**व्यवधान**)...

सर, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि जैसे ही माँग आये, हम उसको जल्दी से जल्दी रोज़गार उपलब्ध करायें। सारा देश इस बात का साक्षी है कि केन्द्र सरकार ने 'मनरेगा' के बजट को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न किया है। पिछली बार इसका बजट 61,500 करोड़ रुपये का था, इस बार बजट में 73,000 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जब कोविड महामारी आयी, तो आप सबके ध्यान में है कि तब आवश्यकता थी कि वैकल्पिक रोज़गार गाँव में उपलब्ध हों, इसलिए 61,000 करोड़ रुपये का बजट होने के बाद भी केन्द्र सरकार ने

1,11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जिसमें से 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राज्यों को जारी किये जा चुके हैं।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, in the State of Andhra Pradesh, huge amounts are sanctioned under MGNREGA. Works have been completed long back during 2018-19 and 2019-20. Some Members of Parliament represented the Ministry.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, some Members of Parliament represented the Ministry alleging that payments have not been made on political grounds. I would like to know whether that representation has been considered, and whether the Ministry has taken any steps to make the payment....

MR. CHAIRMAN: It is about the arrears. Please don't prolong. It is Question Hour.

Mr. Minister, has the Ministry received any representation from Members of Parliament over non-payment of wages due?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, 'मनरेगा' के अंतर्गत जो मजदूरी का भुगतान है, वह पूरा का पूरा मजदूरों के खाते में 99 परसेंट पहुँचता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें राज्य सरकार की कार्यवाही में विलंब होता है, उस मामले में भी केन्द्र सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया है। अगर कहीं विलंब होता भी है, तो ब्याज का भुगतान करने का भी एक्ट में प्रावधान है। इसके तहत राज्य सरकारें ब्याज भी देती हैं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं और उनकी जानकारी के अनुसार जो शिकायत आई है, उस पर हमने राज्य सरकार को लिखा है और उनसे रिपोर्ट मँगाई गई है। जब रिपोर्ट आएगी, तब हम माननीय सदस्य को अवगत कराएँगे।